संख्या-24/2164/53-14-2(68)/13

प्रेषक,

एस0 राजलिंगम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊ:दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में चकगजरिया फार्म स्थित भूमि पर स्थापित परिसम्पत्तियों की पुर्नस्थापना के परिप्रेक्ष्य में पी0सी0डी0एफ0 के नये प्रशिक्षण संस्थान में निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक-368/दुग्ध-8/नियो0/मुमंघो0-छाछा-मैनपुरी(142)/2014-15, दिनांक-28.10.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चकगजरिया फार्म स्थित भूमि पर स्थापित परिसम्पत्तियों की पुर्नस्थापना के परिप्रेक्ष्य में पी0सी0डी0एफ0 के नये प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुपूरक माग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 12500 हजार (एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) धनराशि निम्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन दुग्ध आयुक्त के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य पी0डब्लू0डी0 के शिड्यूल रेट पर कराया जायेगा।

(2) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग की होगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते अथवा डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो एवं वित्त बजट-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 09 जुलाई, 2012 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न किसी अन्य कार्यक्रम/योजना में वर्तमान में सम्मिलित/आच्छादित है।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 की अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक **'2404-डेरी विकास-आयोजनागत-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-03-पी0सी0डी0एफ0 के नये प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-बी-2/3361/दस-2014-244/2014, दिनांक-28 नवम्बर, 2014 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।

संख्या-2164(1)/53-2014, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार-लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।

4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।

6- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3

8- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।

9- इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, मैनपुरी।

10- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in